ख़बर कोना

ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की चाबियां जिलाधिकारी को सौंपने में फैसला सुरक्षित

वाराणसी, 8 नवंबर (भाषा)।

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की चाबियों को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए आदेश को 18 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति में कहा कि हिंदू पक्ष ने तहखाने से संबंधित कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है। यादव ने बताया कि वादी ने व्यास जी का तहखाना की 1993 में घेराबंदी कर दी थी। इससे पूर्व, यह तहखाना पूजा-पाठ के लिए पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा उपयोग किया जाता था।

मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल, गिरफ्तार

ललितपुर, 8 नवंबर (भाषा)।

ललितपुर जिले के तालबेहट क्षेत्र में बुधवार तड़के पुलिस से हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल हो गया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि तड़के करीब पौने चार बजे तालबेहट क्षेत्र में पुलिस ने एक पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को संदेह के आधार पर रोकने की कोशिश की। इसी दौरान उनमें से एक ने पुलिस दल पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान संतोष यादव (36) के रूप में हुई है।

ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत

सुल्तानपुर, 8 नवंबर (भाषा)।

जिले के बन्धुआ कलां क्षेत्र में सड़क के किनारे खेल रहे बच्चे की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की शाम को बन्धुआ कलां क्षेत्र के पडवापुर मजरे ऊंचगांव निवासी रामराज चौहान का चार वर्षीय बेटा आदित्य सड़क के किनारे खेल रहा था, तभी एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक अपना ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया।

चंदौली में गांजा लेकर जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार

चंदौली, 8 नवंबर (जनसत्ता)।

सदर कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान थाना क्षेत्र के भगवानपुर नहर पुलिया के पास से एक बाइक से भारी मात्रा में अवैध गांजा लेकर जा रहे दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डा अनिल कुमार के निर्देश पर जनपद में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।

अयोध्या में आज पहली बार होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक

अयोध्या, 8 नवंबर (भाषा)।

बैठक अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होगी। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को अयोध्या में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राम नगरी में कैबिनेट की यह पहली बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव समारोह से पहले यह बैठक बुलाई है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों को गुरुवार पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे कैबिनेट की बैठक के लिए अयोध्या में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बैठक अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होगी। उन्होंने कहा कि जो मंत्री दूसरे राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वे भी बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

अयोध्या में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए नौ नवंबर की तिथि का चयन इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 में इसी तारीख को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला फैसला सुनाया था। इसके अलावा नौ नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी।

यह भी उम्मीद है कि स्थान और अवसर के महत्व को देखते हुए बैठक के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं हो सकती हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री पूर्वाह्न लगभग 11 बजे रामकथा पार्क आएंगे और पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन करेंगे। अगले चरण में वह श्री राम जन्मभूमि परिसर का पूजन एवं श्री राम लला विराजमान मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद लगभग 12 बजे अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसके लिए एक घंटे का समय तय किया गया है। बैठक के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। बयान के मुताबिक अयोध्या में राज्य मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक होगी। इससे पहले वर्ष 2019 में प्रयागराज में भी मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है। उसी श्रृंखला में अयोध्या में रामलला की जन्मस्थली पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है।

आमतौर पर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक राजधानी लखनऊ में मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार गुरुवार को अयोध्या में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अयोध्या में तीन मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं।

सांप का जहर मिलने के मामले में एल्विश यादव से पूछताछ

नोएडा, 8 नवंबर (भाषा)।

यूट्यूबर मंगलवार रात करीब 11.30 बजे थाने पहुंचे। फिर उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए बुधवार को दोबारा बुलाया गया है।

रेव पार्टी में सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल को लेकर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने मंगलवार देर रात करीब दो घंटे तक पूछताछ की। यादव, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पिछले सप्ताह यहां दर्ज की गई रपट में नामित लोगों में से एक हैं।

एल्विश यादव मामले पर उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और इस प्रकरण में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यादव वन्यजीव जांच में शामिल हुए। मंगलवार रात करीब 11.30 बजे वह थाने पहुंचे। फिर उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई और छोड़ दिया गया।

मामले में गिरफ्तार पांच लोगों की हिरासत के लिए पुलिस पहले ही आवेदन कर चुकी है। इन सभी को बीते तीन नवंबर को सेक्टर-51 के एक बैंक्वेट हॉल से गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से पांच कोबरा सहित नौ सांपों को बचाया गया था। उनके कब्जे से 20 मिलीलीटर सांप का संदिग्ध जहर भी जब्त किया गया था।

पुलिस उपायुक्त जोन प्रथम हरिश चंदर ने बताया कि एल्विश को पूछताछ के लिए बुधवार को दोबारा बुलाया गया है। एल्विश से मिली जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक विधि और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है।

इस बीच, वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जहरीले सांपों को सूरजपुर स्थित जंगल में छोड़ दिया गया है। बरामद नौ सांपों की सोमवार को वन विभाग के डाक्टरों ने चिकित्सा जांच की थी।

पुजारी की हत्या में आजीवन कारावास

बरेली, 8 नवंबर (जनसत्ता)।

जिला अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने शिव मंदिर के पुजारी से मारपीट कर हत्या करने के मामले में एक आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत ने अन्य तीन आरोपियों में से दो को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार देकर रिहा कर दिया। एक आरोपी को एक साल तक सदाचरण करने की हिदायत देकर परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर छोड़ा गया है। जिले की अदालतों में आपराधिक मामलों की पैरवी के नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपराध मुकेश प्रताप सिंह ने अदालत की ओर से मंगलवार को दिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना थाना क्योलड़िया क्षेत्र के महेशपुर गांव की है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते छात्र।

बीएचयू में छेड़छाड़ के आरोपी अब तक पकड़ से बाहर, धरने पर छात्र

वाराणसी, 8 नवंबर (जनसत्ता)।

छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने एवं उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने के आरोपी सात दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में गुस्साए छात्रों ने फिर बीएचयू प्रशासन को घेरा है। बड़ी संख्या में छात्र बुधवार को पुनः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।

छात्रों का आरोप है कि आरोपियों पर कार्रवाई के संबंध में पुलिस का एक ही रटा-रटाया जवाब मिलता है कि घटना के समय रात थी। अंधेरा होने के कारण सीसीटीवी कैमरों की फुटेज साफ नहीं है। इसी वजह से आरोपियों और उनकी मोटरसाइकिल को चिह्नित करने में सफलता नहीं मिल रही है।

आइआइटी-बीएचयू के छात्र-छात्राओं ने हाथों में 'सेव माई डिग्निटी, सेव डाटर' जैसे नारे लिखे कार्ड ले रखे थे। उनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। छात्रों ने मांग की है कि बीएचयू परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के गलियारा मामले में फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, 8 नवंबर (भाषा)।

मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के लिए गलियारा निर्माण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष मथुरा के आनंद शर्मा और एक अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सेवायत की ओर से कहा गया कि यदि सरकार भगवान को चढ़ाया गया चढ़ावा नहीं लेगी और न ही मंदिर के कामकाज एवं प्रबंधन में हस्तक्षेप करेगी, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

कुंज गली के निवासियों की ओर से पक्षकार बनाए जाने का आवेदन देते हुए कहा गया कि गलियारे का निर्माण होने से कुंज गली की प्रकृति एवं महत्व नष्ट हो जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे पूर्व, सेवायत की ओर से कहा गया था कि यह जनहित याचिका स्वयं में पोषणीय नहीं है। साथ ही, बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है, इसलिए इस मंदिर के संचालन में हस्तक्षेप करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत को बताया था कि बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का प्रबंधन और उनकी सुविधाओं के संबंध में व्यापक योजना के लिए प्रार्थना के साथ यह जनहित याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि ये ही वो कारण हैं जो व्यापक रूप से जनहित से जुड़े हैं, इसलिए राज्य सरकार कुछ योजनाएं लेकर आई है।

नोएडा में फैला ठगों का जाल

विदेश भेजने का झांसा देकर 200 लोगों से ठगी

नोएडा, 8 नवंबर (भाषा)।

नोएडा स्थित कंपनी के कार्यालय के गेट पर लटका ताला, ठगी के शिकार लोगों में अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के रहने वाले हैं।

इराक और अजरबैजान में निर्माण कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 200 से अधिक लोगों के साथ ठगी करने का मामला यहां फेस-वन थाना क्षेत्र में सामने आया है। पुलिस उपायुक्त हरीश चंदर ने बताया कि पीड़ितों से शिकायत लेकर जांच की जा रही है। ठगी के शिकार लोगों में अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के रहने वाले हैं।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखा, जिसमें कम पैसों में विदेश में नौकरी लगवाने की बात कही गई थी। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फोन किया, जो अरुण कुमार नाम के व्यक्ति ने उठाया और बताया कि नोएडा के सेक्टर दो स्थित एडीएम इंटरप्राइजेज बिल्डिंग में उसका आफिस है। पीड़ितों ने शिकायत में बताया कि वीजा और सभी दस्तावेज कंपनी की तरफ से बनवाए जाने की बात कही गई और इसके लिए उनसे 50 से 80 हजार रुपये खातों में ट्रांसफर करवाए गए। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने नौकरी के इच्छुक लोगों को सात नवंबर को नोएडा सेक्टर-दो स्थित आफिस बुलाया गया और यहीं टिकट समेत अन्य दस्तावेज देने की बात कही गई।

जब मंगलवार को विदेश जाने के लिए 30 से अधिक लोग कंपनी के आफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। इसके बाद उन्हें पता चला कि वे ठगी का शिकार हो गए हैं। पीड़ितों ने फेस-वन थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने 200 से अधिक लोगों से विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की है। इसमें कहा गया कि कई लोगों को आरोपियों ने वीजा भेज भी दिया था जो सही पाया गया था। अब आरोपियों का नंबर बंद आ रहा है। उनसे किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं पुलिस उपायुक्त हरीश चंदर ने बताया कि पीड़ितों द्वारा अपने पासपोर्ट आरोपियों को बिहार के पटना में दिए गए थे। वहीं पर उनका साक्षात्कार भी हुआ था। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा सभी को कॉल कर नोएडा बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि यहां पर आरोपियों का कोई कार्यालय नहीं है। प्राथमिक जांच में पता चला कि मामला बिहार से जुड़ा हुआ है।

बेटे ने दी महंत की हत्या की सुपारी, 11 गिरफ्तार

मथुरा, 8 नवंबर (भाषा)।

पुलिस के साथ मुठभेड़ में चार बदमाश गोली लगने से हुए घायल।

मथुरा जिले के किशोरी कुंज आश्रम के महंत की कथित तौर पर हत्या करने आए 11 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में चार बदमाश गोली लगने से घायल हो गए।

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि ये बदमाश किशोरी कुंज आश्रम के महंत स्वामी राज की हत्या करने के इरादे से एकत्र हुए थे। पुलिसकर्मियों की टीम ने मंगलवार आधी रात को वृन्दावन इलाके में पानीघाट के पास इन लोगों को घेर लिया था। इस पर बदमाशों ने पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में चार बदमाश जख्मी हो गए। बाद में सभी 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी राज का अपने बेटे केशव दास से विवाद है। बिहार की जेल में बंद दास को मंगलवार को बिहार की पुलिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लेकर आई थी। सिंह ने बताया कि केशव दास ने आश्रम विवाद को लेकर इन 11 लोगों को अपने पिता की हत्या करने के लिए कहा था।

बदमाशों की पहचान बिपिन, टीटू, अजय और राज सिकरवार के रूप में की गई है। पकड़े गए बदमाशों में चार बिहार के हैं और बाकी उत्तर प्रदेश के हैं। आरोपियों के कब्जे से कार, चार तमंचे, कई कारतूस, लोहे की राड, रस्सी, मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं।

गुस्सा कानपुर में बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता।

कार्यालय ग्राम पंचायत नगला सेठ,
विकास खण्ड–शमसाबाद, (फर्रूखाबाद)।

पत्रांक /टेण्डर प्रकाशन/2023 दिनाँक–

निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

राज्य वित्त एवं 15 वॉ वित्त आयोग/महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत मे वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की स्वीकृति कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु कार्यस्थल पर सामिग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 09.11.2023 से 17.11.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में निविदा विक्रय की जायेगी एवं दिनांक 17.11.2023 शाम 04:00 बजे निर्माण समिति के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0	मद	कार्य का नाम	सामग्री का विवरण (लाख में)	अनु0 लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण होने का अनुमानित समय
1	मनरेगा	खडन्जा से कल्लू के घर तक एक तरफ नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य	बिल ऑफ क्वॉटिटी	1.67	500.00	1 माह
2	मनरेगा	विनोद के घर से ध्रुवसिंह के घर तक एक तरफ नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य	बिल ऑफ क्वॉटिटी	2.34	500.00	1 माह

नियम एवं शर्तेः– निविदा दाता का जी0एस0टी0 व आयकर मे पंजीकरण होना आवश्यक है। धरोहर राशि एफ0डी0आर0 व एम0एस0सी0 द्वारा ली जायेगी।

प्रधान
(रजनी)
ग्राम पंचायत– नगला सेठ ।
विकास खण्ड–शमसाबाद।

सचिव
(अभय प्रताप)
ग्राम पंचायत– नगला सेठ।
विकास खण्ड–शमसाबाद।

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

CIN : L24241UP1981PLC005282 ; Regd. Office: 51/47, Naya Ganj, Kanpur- 208 001

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023 (Rs./ Lacs)

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended 30.09.2023 Unaudited	Half Year Ended 30.09.2023 Unaudited	Corresponding 3 Months Ended 30.09.2022 Unaudited
1.	Total income from operations	19.49	38.53	17.72
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9.26	20.39	7.93
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.26	20.39	7.93
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.26	20.39	7.93
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	9.26	20.39	7.93
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/- each) (For continuing and discontinuing operations) (Not Annualised) (in Rs.)	1.09	2.40	0.93

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Dinesh Khandelwal
Director (Finance) & CFO
DIN: 00161831

Place: KANPUR
Date: 08.11.2023

दुर्दशा बंदी की कगार पर पहुंचा पीतल उद्योग

धूमिल पड़ गई मिर्जापुर के बर्तनों की चमक

मिर्जापुर 8 नवंबर (जनसत्ता)।

सरकार ने नहीं दिया संरक्षण

स्थानीय मेंटल एसोसिएशन के सचिव मोहन दास अग्रवाल बताते हैं कि इस उद्योग को प्रदेश सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया। इस कारण पिछले तीस सालों से यहां बर्तन बनाने का धंधा धीरे-धीरे खत्म होता गया। अग्रवाल कई सालों से इस उद्योग के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

शताब्दियों पुराना मिर्जापुर का पीतल उद्योग लगभग बंदी की कगार पर है। हालत यह है कि पीतल नगरी के नाम से विख्यात इस शहर के बाजारों में धनतेरस पर भी स्टील के बर्तन बिक रहे हैं। यहां पीतल एवं तांबे के कलात्मक बर्तन नदारद हैं। यहां का सबसे मशहूर बिना पेंदी का लोटा तो अब अतीत की बात हो गई है। वह कहीं दिखाई ही नहीं देता। कहीं-कहीं पीतल के बर्तन रखे दिखते हैं, लेकिन वे इतने महंगे हैं कि ग्राहक दाम पूछकर ही पीछे हट जाते हैं।

कभी मिर्जापुर का पीतल उद्योग खूब फल-फूल रहा था। यहां के पीतल के बर्तनों की मांग पूरे देश में थी। रूई लाह चपडा उद्योग समाप्त होने के बाद पीतल के बर्तन बनाना ही यहां का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। दीपावली के दिनों में यहां की मंडियों में सोना बरसता था। इसी वजह से इस कसरहट्टी मोहल्ले का नामकरण सोनबरसा पड़ गया था। आज भी इस क्षेत्र को सोनबरसा के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग पचास हजार लोग जुड़े थे। आज स्थिति यह हो गई है कि मिर्जापुर बर्तनों के कारखाने बंद हो गए हैं।